न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 168/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/354

निर्णय दिनांकः 17.02.2026

हरिराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1.स्व झुथा देवी पत्नी स्व. चैनाराम जाति जाट निवासीगण जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

1/7 श्रवणराम पुत्र स्व चैनाराम जाति जाट निवासीगण जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

2. नानू पुत्री चैनाराम 3. भागीरथ पुत्र चैनाराम 4. मगनाराम पुत्र चैनाराम 5. मामराज पुत्र चैनाराम 6. लाधूराम पुत्र चैनाराम 7. हड़मानाराम पुत्र चैनाराम 8. गीता देवी पत्नी श्रवणराम जाति जाट निवासीगण जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 9. राजस्थानसरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बृजेश कुमार पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री प्रवीण पालीवाल अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1/7, 2 ता 3, 6ता8की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत हैकि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवानी दावा न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 9.1100 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर भोमसिंहावतान व खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ कुल किता 2 कुल तादादी 22.8800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त खसरान भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम 1/9—1/9 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत खसरान भूमि में 1/9 हिस्सा पूर्व में प्रार्थी के भाई श्रवणराम के नाम दर्ज था, जिसने अपने उपरोक्त खसरान भूमि में स्थित हिस्से को अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 8 गीता देवी के पक्ष में उपहार कर दिया, इस कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गीता देवी के नाम 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 अपने पति/पिता/ससुर चैनाराम के जीवन काल से अलग रहते आये है तथा इनके परिवार अलग—अलग रिहायश कर अपनी कृषि भूमि में काश्त करते चले आये है। आज से करीब 20 वर्ष पहले ही प्रार्थी के पिता चैनाराम ने उपरोक्त अपनी कृषि भूमि का मौखिक रूप से विभाजन कर प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 345 रोही जाखासर में [illegible]—उतरी की 1/9 हिस्सा अनुसार कृषि भूमि हिस्से पाति में दी [illegible], जिस पर प्रार्थी ने [illegible] आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

बना रखी है तथा उक्त हिस्सा भूमि पर प्रार्थी ने ट्यूबवैल बना रखा है, जो कि प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में चला आ रहा है तथा उक्त ट्यूबवैल का विद्युत बिल भी प्रार्थी द्वारा अदा किया जा रहा है। उक्त खसरा भूमि की शेष भूमि व खसरा नम्बर 21 की भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त हिस्सा पांति में चली आ रही है। खसरा नम्बर 21 में ट्यूबवैल बना हुआ है। उपरोक्त दोनो खसरान भूमि में ट्यूबवैलो में विधुत कनेक्शन प्रार्थी के पिता चैनाराम के नाम से चले आ रहे है। प्रार्थी के हिस्से कब्जे, काश्त व उपयोग–उपभोग की भूमि व अप्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग के बीच पट्टियो के टुकड़े लगाकर सीमा कायम की हुई है। वादगत भूमि पर विधि अनुसार विभाजन नही होने पर प्रार्थी अपने हक हिस्से, कब्जे, उपयोग–उपभोग की भूमि का अपनी इच्छानुसार सुधार कार्य नहीं करवा पा रहा है, ना ही प्रार्थी सरकारी योजनाओ के तहत पूर्ण लाभ प्राप्त कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 से कई बार निवेदन किया कि हम पिता के जीवनकाल से उनके बताये मौखिक बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्सा भूमि पर काबिज चले आ रहे है, मैने अथक प्रयास कर मेरे हिस्से पांति की भूमि को उपजाऊ बनाया है तथा ढ़ाणी व ट्यूबवैल बनाकर काश्त कर रहा हूं, आप भी अपने हिस्से भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा ट्यूबवैल का उपयोग–उपभोग कर रहे है, इसलिये आप सहमति से मौका, कब्जा व काश्तानुसार खाता विभाजन करवा लेवे, तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने दिनांक 13.08.2024 को प्रार्थी की यह बात मानने से इन्कार कर दिया तथा ऐलानिया कहा कि हम किसी मौखिक बंटवारा व वर्तमान कब्जा काश्त को नहीं मानेगे, हम हमारी मनमर्जी अनुसार तुम्हारी ढ़ाणी व हिस्से की भूमि पर कब्जा करके तुम्हे बेदखल करके रहेगे।प्रार्थी गरीब व सीधा–सादा कानून में विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति है, जबकि अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच व बाहुबली व्यक्ति है, कि प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन काबिज होकर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है, प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का हर से उपयोग–उपभोग करने का अधिकार रखता है, जिस पर दखल अन्दाजी पैदा करने का अप्रार्थीगण को अधिकारी नहीं है, इसलिये प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादगत खसरा भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्सा पांति की भूमि पर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग की भूमि से बेदखल करके काबिज होने व दखल अन्दाजी पैदा करने पर आमदा है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है, प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 9.1100 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर भोमसिंहावतान व खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ को खाता विभाजन से पहले विक्रय, बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थी के कब्जे, काश्त व उपयोग–उपभोग व ट्यूबवैल की भूमि पर दखल अन्दाजी पैदा करे, ना प्रार्थी को बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे, जिससे प्रार्थी के वैध कानूनी अधिकारो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

परित प्रभाव पड़ता हो तथा अप्रार्थीगण ताफैसला दावा तक वादगत खसरान भूमि के कार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/7, 2 ता 3 व 6 ता 8 जरिये धिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान ुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें खे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1/7, 2 ता 3 व 6 ता 8 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया किप्रार्थीगण का दावा गलत आधारो पर पेश किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है। वादगत खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 9.1100 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर भोमसिंहावतान व खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी पहले हमारे पूर्वज चैनाराम के नाम से थी, चैनाराम ने अपने दोनो खसरान भूमि में अपने जीवनकाल में ट्यूबवैल बनवाये थे तथा ट्यूबवैल में अपने नाम से विधुत कनेक्शन भी लगवाया था । उपरोक्त खसरान भूमि पर चैनाराम का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग रहा है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है तथा ट्यूबवैल विधुत कनेक्शन का बिल का भुगतान भी संयुक्त रूप से किया जा रहा है। प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण वादगत खसरान भूमि को अपने–अपने हिस्सा पांति के अनुसार अदल बदल काश्त करते चले आ रहे है, किसी भी खातेदार का किसी निश्चित हिस्से पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कभी भी वादगत खसरान भूमि का विभाजन हेतु नहीं कहा था व वादगत खसरान भूमि का चौनाराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी कोई मौखिक विभाजन नहीं किया था, ना ही खसरा नम्बर 345 रोही जाखासर मय ट्यूबवैल में पूर्वी – उतरी हिस्से पर प्रार्थी का लगातार रूप से कभी कब्जा काश्त रहा है । प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण अदल–बदल कर वादगत खसरान भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। वादगत खसरान भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का बराबर–बराबर हिस्सा पांति व कब्जा काश्त चला आ रहा है। कोई पक्षकार अपने सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। अभी काश्त का समय चल रहा है, फसल बुआई, कटाई हेतु अप्रार्थी संख्या 8 को रुपयो की आवश्यकता थी तो अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने हिस्सा पांति की कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लेने के लिये आवेदन किया था, जिसका अप्रार्थी संख्या 8 को बैंक से स्वीकृति पत्र भी प्राप्त होचुका था, जिसकी सूचना प्रार्थी को मिलने पर प्रार्थी ने दुर्भावनावंश यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को सुने बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली ताकि अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर ऋण प्राप्त ना कर सके। प्रार्थी न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ीमान्जी के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दुर्भावनावंश प्रस्तुत किया हैएवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 9.1100 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर भोमसिंहावतान व खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण वादगत खेतो के रिकार्डेड काबिज खातेदार है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested